प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 314/2002

याचिकाकर्ता : रविकांत सेन

विरुद्ध

उत्तरवादी: भारत सरकार/

भारत सरकार, श्रम

मंत्रालय और अन्य

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति **श्री सतीश के. अग्निहोत्री**।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री एस.पी. काले, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से ।

श्री आर.एम. सोलापुरकर, अधिवक्ता क्रमांक.2, उत्तरवादी की ओर से |

आदेश

(7 दिसंबर, 2006 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री** द्वारा पारित किया गया है।

1. याचिकाकर्ता को अनुविभागीय अधिकारी (टी.), बिलासपुर के अधीन दूरसंचार विभाग में 1.4.1986 से आकस्मिक कर्मकार के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता की सेवा 1 अप्रैल, 1988 को समाप्त कर दी गई थी।

2. जिससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने 2.3.1997 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर के समक्ष एक आवेदन (अनुलग्नक पी/1) दायर किया। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने अपने दिनांक 12 जुलाई, 1999 के आदेश (अनुलग्नक पी/2) द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अधिकरण को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 से आच्छादित विवाद पर विचार करने की कोई अधिकारिता नहीं है।

3. तत्पश्चात याचिकाकर्ता ने काफी विलंब के बाद भारत सरकार, श्रम मंत्रालय/उत्तरवादी संख्या 1 के समक्ष विवाद उठाया। उत्तरवादी संख्या 1 ने अपने आदेश दिनांक 11.01.2000 (अनुलग्नक पी/3) के द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें निम्नानुसार अवधारित किया गया:–

"यह विवाद 11 वर्षों से अधिक समय के बाद, इतनी लंबी देरी के किसी स्पष्टीकरण के बिना समुत्थापित किया गया है।"

4. **रामकुमार सूर्यवंशी विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**[1] के मामले में इस न्यायालय के समक्ष समान विवाद्यक विचारार्थ आया, जिसमें इस न्यायालय ने माना कि विलंब के कारण दूसरे पक्ष को होने वाले नुकसान तथा/या विलंब घातक थी या नहीं, इस पर केवल श्रम न्यायालय के समक्ष निर्णय की प्रक्रिया में ही विचार किया जा सकता है। यह मामला रामकुमार सूर्यवंशी विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा पूरी तरह से आच्छादित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. **अजायब सिंह विरुद्ध सरहिंद सहकारी विपणन–एवं–प्रसंस्करण सेवा सोसायटी लिमिटेड और अन्य**[2] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 10 में इस प्रकार अवलोकित किया:–

"10...... परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 137 के प्रावधान अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं और इसके तहत अनुतोष को केवल विलंब के आधार पर कर्मकार को देने से प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता है। यदि नियोक्ता द्वारा विलंब का अभिवचन किया जाता है तो उसे वास्तविक पूर्वाग्रह को दर्शाकर तथ्य के रूप में साबित किया जाना चाहिए न कि केवल एक काल्पनिक प्रतिवाद के रूप में। केवल विलंब के आधार पर श्रम न्यायालय के किसी संदर्भ पर आम तौर पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। यहां तक कि ऐसे मामले में जहां विलंब को विद्यमान् दिखाया गया है, मामले को सुनने वाला अधिकरण, श्रम न्यायालय या बोर्ड, कर्मकार को उसकी अवैध छंटनी/समाप्ति या खारिजी के संबंध में मांग उठाने की तारीख तक बकाया वेतन देने से इनकार करके अनुतोष को उचित रूप से मोड़ा जा सकता है। न्यायालय समुचित मामलों में पूर्ण बकाया वेतन के बजाय बकाया वेतन के हिस्से का भुगतान करने का निर्देश भी दे सकती है....."

[1] {2006 L.T.(CG) 135}
[2] (1999) 6 SC 82

इस अभ्युक्ति को पश्चात में **गुरमेल सिंह विरुद्ध प्रिंसिपल, सरकारी शिक्षा महाविद्यालय और अन्य**[3] तथा **एस.एम. नीलाजकर और अन्य विरुद्ध दूरसंचार जिला प्रबंधक, कर्नाटक**[4] के मामलों में पालन किया गया।

6. तदनुसार, इस याचिका को **स्वीकार** किया जाता है और उत्तरवादी संख्या 1 को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण को संदर्भित करे। "वाद व्यय" के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है ।

सही /–
सतीश के अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By — ADV. ANANDITA PRATHNA BEHRA

[3] (2000) 9 SCC 496
[4] (2003) 4 SCC 27